प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन : झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला के विशेष संदर्भ में

अर्पित सुमन टोप्पो[1], डॉ० किरण मिश्रा[2], डॉ० सुचित्रा बेहरा[3]

[1]शोधार्थी, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

[2]प्रमुख शिक्षा विभाग, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

[3]शिक्षा विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा (झारखण्ड) भारत

सारांश

आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक परिवर्त्तन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इक्कीसवीं सदी में समाज के समग्र विकास के लिए ऐसी आबादी की आवश्यकता है जो अच्छी तरह से शिक्षित और कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान से सुसज्जित हो। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने में, शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। प्रारंभिक शिक्षा को हर जगह पहुँचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई परियोजनाएँ और कार्यक्रम शुरू किए है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रही है जो सभी के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करती है। झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत भी प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में सरकारी योजनाओं में मुख्य रूप से सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृति योजना, निशुल्क पुस्तक वितरण, बुनियाद एवं बुनियाद प्लस इत्यादि योजनाएँ चलाई जा रही है। शोधकर्त्ता के द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन हेतु पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत 50 प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, ग्राम समिति के सदस्यों को न्यादर्श के रूप में चयन किया है।

मुख्य बिन्दु :– सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृति योजना, निशुल्क पुस्तक वितरण, बुनियाद, बुनियाद प्लस, निदानात्मक शिक्षण।

I प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्रारंभिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता है। यह पहली सीढ़ी है, जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ठ संबंध प्रारंभिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का नही है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु सरकार के द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की गई है। संचालित योजनाएँ एवं उनका क्रियान्वयन इस प्रकार है –

प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता हेतु तथा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 से लागू किया गया है। इसके तहत् 6–14 वर्श के बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है। वर्त्तमान में यह सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। ज्ञान सेतु योजना पश्चिमी सिंहभूम जिला में संचालित है। इसके तहत् हर छात्र को अधिगम स्तर के अनुसार शिक्षा मिलेगी। वर्ष 2020 तक 75% छात्रों को अपने कक्षा स्तर तक लाना इसका उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत सालभर प्रतिदिन 1.5 घंटे कक्षा लेकर उनके अधिगम स्तर तक लाना है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा बच्चों के नामाकंन में वृद्धि तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है और उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना है। परन्तु जिले में अव्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्र में इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है तथा पूरी शिक्षा प्रणाली प्रभावित हो रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृति प्रदान कर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निशुल्क पुस्तक वितरण योजना के तहत् कक्षा एक से आठ को निशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तक वितरण में विलम्ब हो जाती है। पुस्तक के साथ पोशाक वितरण की भी व्यवस्था है जिसमें कक्षा 2 से आठ तक के बच्चों को उपस्थिति के आधार पर पोशाक वितरण कराया जाता है। लगभग एक साल से प्रयास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम छात्रों की उपस्थिति को नियमित करने की दिशा में एक प्रयास है, जिसमें लाल, पीला, हरा तथा नीला रंग का प्रयोग कर छात्रों को नियमित रूप से उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा के साथ–साथ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस बात को ध्यान में रखकर बाल समागम की शुरूआत की गई है। इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर संकुल स्तर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्रों के बीच खेलकूद का आयोजन किया जाता है। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। बुनियाद एवं बुनियाद प्लस कार्यक्रम के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बच्चे कितना सीख रहे है। इन्सपायर अवार्ड योजना के द्वारा बच्चों के वैज्ञानिक अभिवृति का विकास करना है। इस के तहत् जो इस स्कीम में भाग लेना चाहता है उसे 5000रू० दिए जाते हैं ताकि वह प्रोजेक्ट से संबंधित खर्च कर सके और उसमें वैज्ञानिक अभिवृति का विकास हो सके। निदानात्मक शिक्षण की व्यवस्था कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों के लिए है जिसे विशेष प्रशिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 को मानक के रूप में माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह मानक पूरा नहीं है। शिक्षकों को बहुश्रेणी कक्षा शिक्षण करना पड़ता है।

II संबंधित साहित्य की समीक्षा

यादव, सुनील कुमार (2012) जौनपुर जिला के उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में नामाकंन में वृद्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि मध्याह्न भोजन का प्रभाव के अंतर्गत अध्ययन में यह पाया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यक्रम के कार्यों को संतोषजनक रूप में क्रियान्वित किए जा रहे है। ग्राम प्रधानों द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यों को सक्रिय रूप से किया जा रहा है। छात्रों, अध्यापकों, महिलाओं, महिला कार्यकर्त्ताओं एवं अभिभावकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे है। तथा छात्रों के पोशण स्तर में सुधार उपस्थिति, नामाकंन एवं अपव्यय व अवरोधन को रोकने में सहायता मिल रहे है।

देवराज, एमैधी (2005) "चामूराज नगर जिले में गुणवत्ता शिक्षा" जिला गुणवत्ता शिक्षा परियोजना विधान बुरा बंगलौर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से यह पाया गया कि नामाकंन वृद्धि से विद्यालयों में पर्याप्त विद्यार्थियों की संख्या न्यून आधारभूत सुविधाओं में जीवन जीने को मजबूर है। बहुकक्षा प्रणाली लागू है इसी प्रकार विद्यालयी अध्ययन अध्यापन दशाओं पर भी अनेक निष्कर्श प्रतिपादित किए गए।

III समस्या कथन

"प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन : झारखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला के विशेष संदर्भ मे।"

IV अध्ययन के उद्देश्य

प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का अध्ययन करना प्रस्तुत शोध कार्य का उद्देश्य है। प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में सरकार की ओर से संचालित अनेक योजनाएँ जैसे– सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृति योजना, निशुल्क पुस्तक वितरण योजना, बुनियाद, बुनियाद प्लस, निदानात्मक शिक्षण इत्यादि हैं। इन योजनाओं को लागू कर दिया गया है परन्तु इनका क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं इसको ज्ञात करना अति आवश्यक है। अगर योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है तो कौन–कौन सी समस्याएँ है इसका पता लगाना भी इस शोध अध्ययन का उद्देश्य है।

(क) परिकल्पना :– .

(i) प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सुचारू रूप से होता है।

(ख) न्यादर्श :– प्रस्तुत शोध कार्य हेतु 200 न्यादर्श का चयन किया गया है।

प्रारंभिक सरकारी विद्यालय	शिक्षक	प्रधानाध्यापक	अन्य सदस्य
50	100	50	50

(ग) शोध विधि :– इस अध्ययन के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

(घ) शोध कार्य में प्रयुक्त सांख्यिकी :– प्रस्तुत अध्ययन में आंकड़ों के संकलन के बाद निम्न सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है – मध्यमान तथा मानक विचलन

(च) शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण :– आंकड़ों के संकलन हेतु स्व निर्मित लिकर्ट स्केल (पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित और सहमत, असहमत) तथा प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।

V परिकल्पना का विश्लेषण

(क) परिकल्पना क्रमांक – 1

प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से होता है।

सारणी क्रमांक – 1

(प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन)

न्यादर्श	कथन	मध्यमान	मानक विचलन	सीमा	मान	कुल मत	प्रतिशत
200	पूर्णतः सहमत	28.75	11.637	निम्न	17.113 से कम	41	26.3 %
				औसत	17.113 से 40.381 के बीच	146	37 %
				उच्च	40.381 से अधिक	13	6.5 %
	सहमत	20.18	8.38	निम्न	11.8 से कम	44	22 %
				औसत	11.8 से 28.56 के बीच	130	65 %
				उच्च	28.56 से अधिक	20	13 %

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक विद्यालयों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त पूर्णतः सहमत का मध्यमान 28.75 तथा मानक विचलन 11.637 है तथा कुल मत का प्रतिशत क्रमशः 26.3%, 37% तथा 6.5% है। जबकि सहमत का मध्यमान 20.18 तथा मानक विचलन 8.38 है। साथ ही प्रतिशत क्रमशः 22%, 65% तथा 13% है। तथा अनिश्चित असहमत, पूर्णतः असहमत को कोई मत प्राप्त नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु न्यादर्श का सर्वाधिक मत पूर्णतः सहमत तथा सहमत को प्राप्त हुआ है। अतः इससे परिकल्पना की पुष्टि होती हैं।

VI परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन से यह निश्कर्श निकलता है कि प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो रहा है। योजनाओं के लागू करने की उद्देश्यों की प्राप्ति भी हो रही है। संचालित योजनाओं के कारण नामांकन दर में वृद्धि हो रही है, साथ ही गुणवत्ता को बनाये रखने का भी प्रयास किया जा रहा है। परन्तु पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कुछ समस्याएँ पाई जा गई हैं, जैसे गरीबी और अशिक्षा के कारण ड्रॉपआउट की समस्या व्याप्त है। छात्र आर्थिक तंगी के कारण बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते है। शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। अभिभावक–शिक्षक बैठक होने का प्रवधान है परन्तु सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अभिभावक–शिक्षक नहीं होती है, तो कहीं–कहीं अभिभावक–शिक्षक बैठक में अभिभावक शामिल नहीं होते है। इसके लिए अभिभावकों को जागरूक करने की आवश्यकता है। ग्रामीणों के जीवकोपार्जन का मुख्य स्त्रोत कृशि है और वे जीवकोपार्जन के अन्य विकल्पों के बारे में नहीं जानते है। इस कारण शिक्षा के प्रति उदासीन होते है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह अच्छी तरह करनी चाहिए। साथ ही ग्राम शिक्षा समिति को भी जागरूक होना चाहिए जिससे सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1] यादव, सुनील कुमार (2012)'' जौनपुर जिला के उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में नामाकंन में वृद्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि में मध्याह्न भोजन का प्रभाव '' का अध्ययन

[2] देवराज, एमैधी (2005) '' चामराज नगर जिले में गुणवत्ता शिक्षा '' का अध्ययन

[3] सिंह प्रेमपाल (2013) प्राथमिक शिक्षा, ग्रीन लीफ पब्लिकेशन, वाराणसी, पृष्ठ संख्या–101

[4] अरोरा, सरोज, मंगल अंशु (2013) वर्त्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, राखी प्रकाशन, आगरा, पृष्ठ संख्या–234

[5] गुप्ता, डॉ० एस० पी० (2005) आधुनिक मापन मूल्यांकन, शारदा पुस्तक 000000000भवन, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या–408–421